न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 145–तीन/88 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–9–88 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 150/84–85/अपील.

वत्सलाबाई पत्नी काशीनाथ मुंगी
भूमिस्वामी ग्राम वजीरपुरा
निवासी मोहल्ला पान दरीबा उज्जैन .....आवेदिका

विरूद्ध

1– मल्हारराव आत्मज गणपतराव सांप वाले
निवासी छत्रीवाड़ा उज्जैन
2– तुकाराम आत्मज गणपतिरावजी सांप वाले
निवासी छत्रीवाड़ा, उज्जैन
3– भगवन्तराव आत्मज गणपत राव सांप वाले
निवासी ग्राम वजीरपुर उर्फ जोगीखेड़ा
तहसील उज्जैन .....अनावेदकगण

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/9/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–9–88 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका द्वारा अपर तहसीलदार, उज्जैन के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसकी भूमि सर्वे कमांक 24/3 रकबा ।। बिस्वा पर अनावेदकगण द्वारा अवैध

कब्जा किया गया है, अतः कब्जा दिलवाया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 9/अ–70/68–69 दर्ज कर दिनांक 15–12–1973 को आदेश पारित कर अनावेदकगण को बेदखल करने का आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27–2–76 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27–8–81 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई । इस न्यायालय द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण नियमानुसार निराकरण हेतु अपर आयुक्त को भेजा गया । अपर आयुक्त द्वारा इस न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही किया जाकर दिनांक 24–9–88 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदिका के स्वत्व एवं स्वामित्व की है, जिस पर से अनावेदकगण द्वारा उसे बेदखल कर दिया गया था, अतः तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल करने संबंधी पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है, जिसे निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा आवेदिका को सुनवाई का अवसर दिये बिना यह कहते हुए आदेश पारित किया गया है कि प्रकरण राजस्व मण्डल द्वारा निराकृत कर दिया गया है, इसलिए प्रकरण का निराकरण उसी के अनुसार किया जाये । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश निरस्त किये जाकर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर साक्ष्यों से इस तथ्य को प्रमाणित पाया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदिका के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है, जिस पर अनावेदकगण द्वारा अवैध कब्जा किया गया है । अतः तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में साक्ष्यों की विस्तार से विवेचना करते हुए प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा आवेदिका को दिलाये जाने का आदेश पारित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है । अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश को केवल इस आधार पर अवैधानिक ठहराते हुए निरस्त किया गया है कि आवेदन पत्र में बेदखल करने का दिनांक एवं साक्षियों के कथनों में आये बेदखली के दिनांक में विरोधाभास है, जबकि आवेदिका द्वारा अपने आवेदन पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उसे दिनांक 3–7–1968 से अनावेदकगण द्वारा बेदखल किया गया है । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जिन आधारों पर आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया है, उन आधारों के संबंध में तहसील न्यायालय द्वारा अपने आदेश में विस्तार से विवेचना की गई है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–9–88 तथा अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–2–76 निरस्त किये जाते हैं । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर